

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2011—आषाढ़ 10, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. एफ-3-6-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा-13 क की उपधारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-6-2008-एक-10, दिनांक 13 जून 2008 के अनुक्रम में, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्वारा संभागीय सतर्कता समिति, रीवा में श्री कमलेश्वर प्रसाद तिवारी को दिनांक 27 जून 2011 से 26 जून 2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है.

No. F 3-6-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 and in Continuation of this Department Notification No. F.3-6-2008-I-10, Dated 13th June, 2008 the State Government on the recommendation of the Lokayukt, hereby re-appoint Shri Kamleshwar Prasad Tiwari, Chairperson in the Divisional Vigilance Committee, Rewa Division, for a Period of three Years *i.e.*, From 27th June, 2011 to 26th June, 2014.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.